

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु

INDIA NON JUDICIAL

Rs 20000 रु

01CC 939032

मूल्य संमित

सही पाया

25/11

[illegible] 1978

[illegible] 26 (1) [illegible]

8520 [illegible] 31.8.2000

[illegible]

[illegible] 25/11

[illegible] 6482, 6483 [illegible] 25.11.2000

[illegible] 6484

[illegible]

[illegible] 4854, 4857 [illegible] 25.11.2000

4856

[illegible]

[illegible] 25/11

[illegible] 22860

[illegible] 19040

[illegible] 41900

25/11/2000

शुल्क [illegible]

[illegible] 5440-00

[illegible] 45-00

[illegible] 250-00

[illegible] 2-50

[illegible] 1-[illegible]

5738-62

25.11.2000

नाम लेख्यकारी :→ श्री कुमार

पुष्पजय पिता का

नाम श्री रघुनाथ

प्रसाद शर्मा निवास

स्थान चेरो थाना

सरमेरा पत्रालय

चेरो जिला

[illegible] 25/11/2000

24 NOV 2000

Ex.N. 112-11-2000



बीस हज़ार रुपये
RUPEES
20000
रुपये
Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

(२)

01CC 939031

२ नाम लेख्यधारी गण। :→ (१) श्री बृजनन्दन प्रसाद पिता का नाम स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद (२) श्री मती धर्मशीला देवी धर्मपत्नी श्री बृजनन्दन प्रसाद निवास स्थान बाकरगंज गोला रोड थाना पीर-बहोर पत्रालय बाँकीपुर जिला पटना भारतीय नागरिक।—

कुमार प्रतिपक्ष 25/11/2000

३ लेख्य प्रकार :→ निर्विवाद विक्रय पत्र केवाला बैला-कलामी यानि विक्रय पत्र।—

४ लेख्य सम्पत्ति मूल्य :→ अंकेन् २७२०००) दो लाख बहत्तर हज़ार रुपया मात्र।-

राकेश कुमार प्रतिपक्ष
राम-श्री, थाना-कलेक्ट्रेट जि०-नालन्दा
25/11/2000

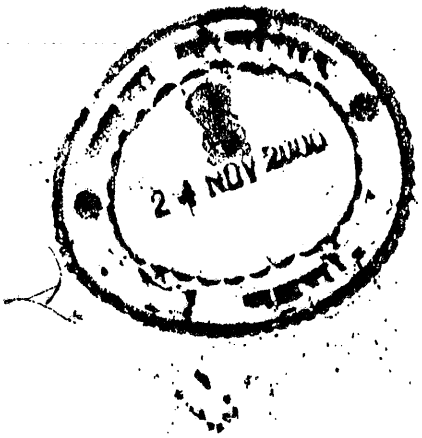



24 NOV 2000

130 ७ 30/20

तपेश्वर महतो
२४-११-२०००

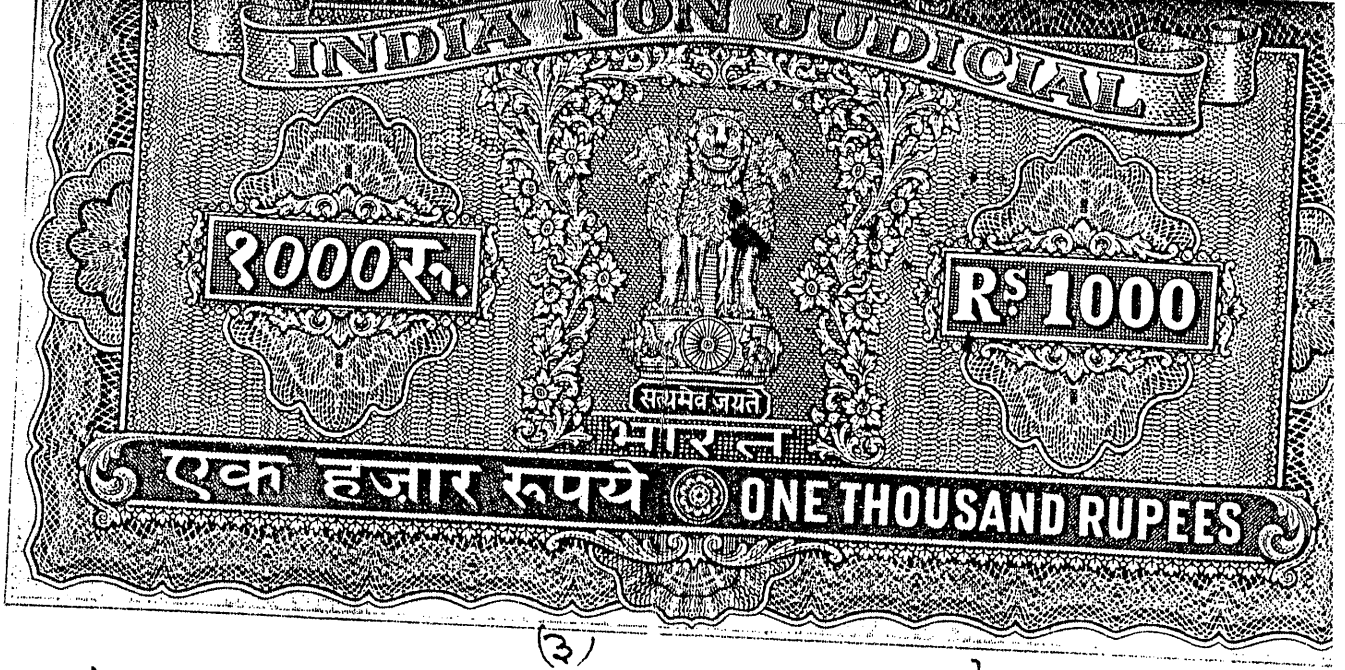

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

(३)

लेख्य सम्पत्ति का विवरण :→ मवाजि ७३ कट्ठा (तीन कट्ठा) ऐराजी सकना पड़ती वाके मौजा सगुना परगना फुलवारी थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना जिसका थाना संख्या २३ तौजी संख्या ५२√२ / १८५८७ खाता संख्या ८२ खेसरा प्लौट संख्या ३५५ मे से जमाबन्दी संख्या १३५५ मालिक बिहार सरकार बजरिये अंचलाअधिकारी दानापुर लगान ×) ७५ पैसा अलावे शेष।

यह जमीन सकना पड़ती है जो बिक्री हेतु दिनांक ३१-८-२०००

तेजेश्वर महतो
[illegible]
दानापुर, पटना
२५.११.२०००

[illegible]
२५/११/२०००

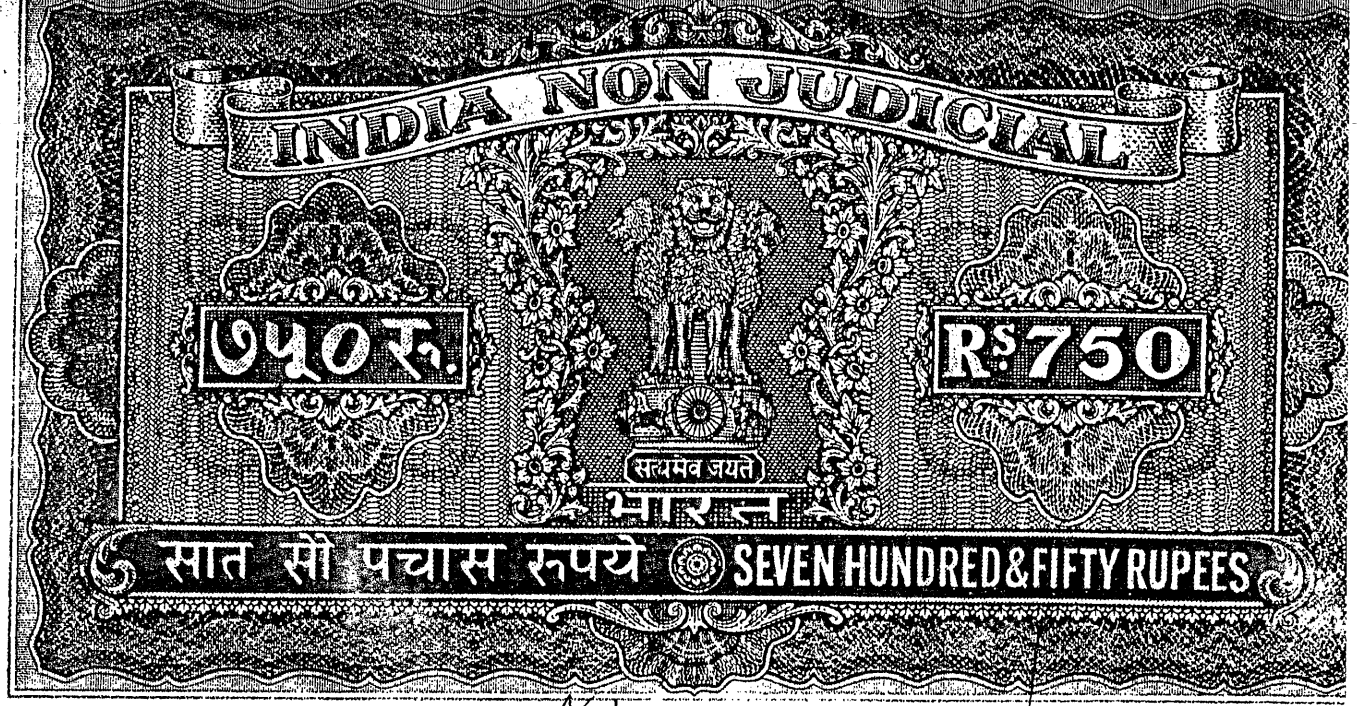

INDIA NON JUDICIAL

७५० रु. Rs 750

सत्यमेव जयते

भारत

सात सौ पचास रुपये SEVEN HUNDRED & FIFTY RUPEES

(४)

ई० को उप समाहर्त्ता सदर पटना के यहाँ आवेदन दिया था जिसका पत्रांक संख्या ८५२०/२००० है वो शहरी भूमि हदबन्दी अधिनियम १९७६ ई० के अधीन धारा २६(ii) के अन्तर्गत साठ दिनों कि अवधि समाप्त हो चुकी है।

उत्तर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम
सर्वे प्लौट	पार्ट प्लौट	पार्ट प्लौट	पार्ट प्लौट
न० ३५४ श्री	न० ३५५	न० ३५५	न० ३५५
जे. के. दत्ता		जिसका	
एवं अमृता		अज	
विजय		खरीदार	
		राकेश कुमार	
		वो मुकेश कुमार	
		दुसरे दस्तावेज	
		में	

संदर्भ

हकियत यह है कि इस बिक्रय पत्र के खाने न० ५ कि वर्णित

02641



INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

(५)

८-४-√३ ई० को नविस्ते श्री मती शान्ता रानी सिन्हा धर्मपत्नी स्वर्गीय लेफ्टीनेन्ट कर्नल वीर किशोर प्रसाद सिन्हा निवास स्थान शान्तापन बेली रोड पटना बाई पास नहर के पास थाना दानापुर जिला पटना से बैच खरीद किये है जिसका वशीका न० १८७४ निबंधन कार्यालय दानापुर है और ता खरीदारी लेख्यकारी अपने खरीदगी सम्पत्ति पर काबीज दखील मालिक मुस्तकील रहते चले आते है वो है वो बिहार सरकार के जमीनदारी के नामांकन रजिस्टर्ड पर लेख्यकारी का नाम अंकित है वो लेख्यकारी के नाम से जमाबन्दी न० १३५५ के द्वारा जमीनदारी रसीद कटते चला आता है वो है और पाक वो शाफ है।—

25/11/2000

पचास रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

FIFTY RUPEES

५०रु.

50RS

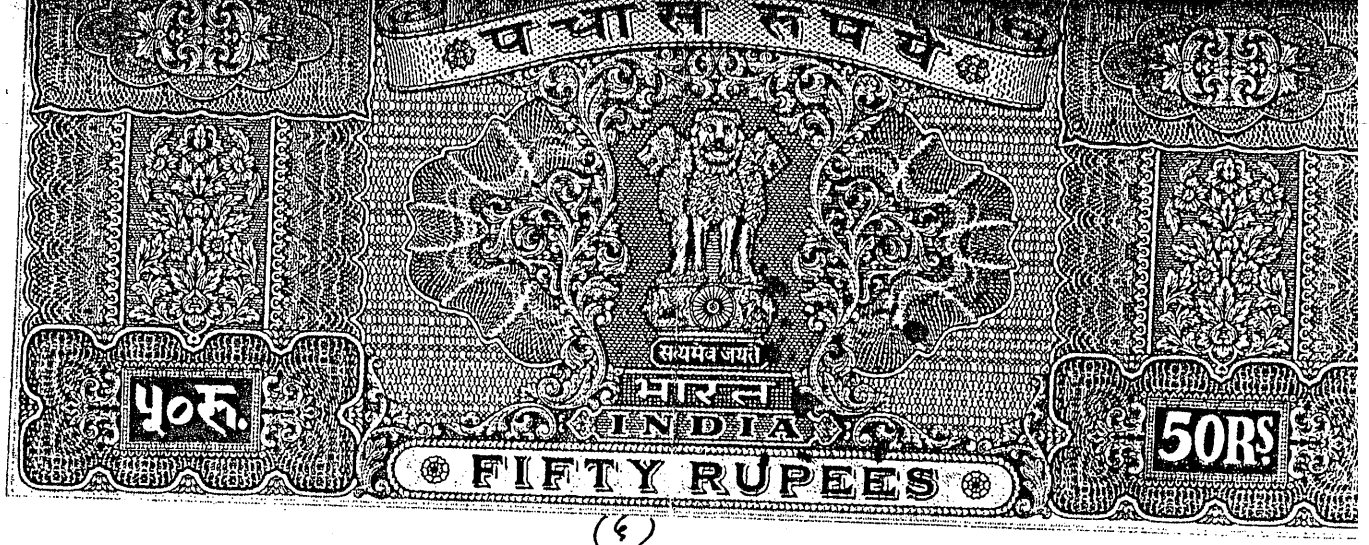

(६)

लेख्यकारी को रुपये का जरूरत वास्ते करने व्यवसाय वो करने खर्च जरूरीयात के लिये जरूरी है और बिना खाने न०५ मे वर्णित सम्पत्ति को बिक्री किये रुपयो का इकट्ठा होना असम्भव है इसलिये लेख्यकारी ने अपने खाने न०५ मे दर्ज सम्पत्ति को बेचने कि बात चीत चलाई तो अंत मे खाने न०२ के लेख्यधारीगण के साथ अंकेन २७२०००) दो लाख बहत्तर हजार रुपया मे बिक्री सबंधी बात चीत तय वो करार हो गया क्यो कि इससे ज्यादा कीमत या इतना ही कीमत और कोई दुसरा ग्राहक नही लगाते थे इसलिये लेख्यकारी को अपने सम्पत्ति का कीमत उचित वो मुनासीब समझ मे आया इसलिये लेख्यकारी ने लेख्यधारीगण के साथ बिक्री सबंधी बात चीत निश्चित कर दी और बिक्रय

[illegible] 25/11/2000



पत्र का ऐकरार करने के लिये तैयार हुये।

अतएव लेख्यकारी बहैसियत सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वो स्वामी वो दखलकार के होकर वो रहकर अपने तन मन तथा ज्ञान इन्द्रियो कि स्वस्थावस्था मे मानसिक संतुलन के साथ रहकर अपने हितैषियो एंव कानुनी सलाहकारो से परामर्श लेकर बिना किसी के दवाव वो धमकाव के अपने हानि वो लाभ को अच्छी तरह समझ वो बुझकर खाने न०५ कि वर्णित सम्पत्ति को खाने न०२ के लेख्यधारीगण के साथ अंकेन् २७२०००) दो लाख बहत्तर हजार रुपया मे निर्विवाद बिक्रय पत्र केवाला बैला कलमी किया वो लिखा वो बेचा वो बिक्रय पत्र का ऐकरार स्वीकार किया।—

मूल्य के कुल कीमत लेख्यकारी ने लेख्यधारीगण से इस प्रकार

कुमार पुरुषोत्तम 25/11/2000



से वसूल पाया कि अंकेक्ष १३६००) एक लाख छत्तीस हजार को १३६००) एक लाख छत्तीस हजार रुपया का दो ड्राफ्ट जो शारदा कोऑपरेटिव बैंक लि० पटना का पहला ड्राफ्ट नं० १२६१५५ को दूसरा ड्राफ्ट नं० १२६१५६ दिनांक २४-११-२००० का मिनजुमला २६२०००) दो लाख बहत्तर हजार रुपये का दो बैंक ड्राफ्ट यही के समय वसूल पाया।

इस प्रकार कुल कीमत लेख्य कर्ति को लेख्यधारिगण के यहाँ से वसूल वो बेबाक हो गया। आज तक जो कुछ हक वो अधिकार वो स्वामित्व वो हिस्सा रवाने नं० २ कि वर्णित सम्पत्ति में लेख्य कारी वो उनके वंशज वो उनके उत्तराधिकारियों को प्राप्त था या होता वह कुल हक वो अधिकार कि सभी मूल्य वसूल होकर आज कि तिथि से लेख्य धारिगण रवाने नं० २ को प्राप्त हुआ वो है चाहिये कि लेख्यधारिगण रवाने



(✓)

नं० ५ कि वर्णित सम्पत्ति पर काबीज रहकर अपना नाम वसिरिस्ते बिहार सरकार के जमीनदारी के नामांकन रजिस्ट्रेई पर दर्ज करा लेवेंगे वो जिस जिस मशरफ मे लाना चाहे लावेंगे इसमे लेख्यकारी वो उनके वंशज वो उन के उत्तराधिकारीयो को कोई उजूर वो ऐतराज नही है वो न होगा।-

यह के लेख्यकारी ने लेख्यधारी गण खाने नं० २ को पूर्ण विश्वास दिलाये है कि खाने नं० ५ कि वर्णित सम्पत्ति ऋण भार वो अधिकार सबंधी झंझटो वो सरकारी या गैर सरकारी विवादो से मुक्त है।-

अगर किसी किसीम के खलल वो फतुर से जुज या कुल ऐराजी से लेख्य-धारीगण या उनके उत्तराधिकारी बेदखल हो जाय तो नालीश अदालत करके कुल रुपया असल वो उसका सुद मय हर्जा वो खर्चा खेसारा वो तमान लगाकर लेख्यकारी वो उनके उत्तराधिकारीयो

कुमार पुरुषोत्तम
25/11/2000



के अन्य हर प्रकार के चल वो अचल सम्पत्ति से मनकुला वो गैर मनकुला नामी बेनामी आम हर एक शाम से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लेवेगे इसमे लेख्य-कारी वो उनके उत्तराधिकारियो को कोई उजूर वो ऐतराज नही है वो न होगा।-

इस वास्ते यह वशीका निर्विवाद बिक्रय पत्र केवाला बैला कलामी यानि बिक्रय पत्र बहक वो बनाम खाने नं० २ के लेख्यधारीगण के नाम से लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।- प्रमाणित किया जाता है कि मूल प्रति वो दूतीय प्रति हु बहु एक दुसरे का समान है जो दस पृष्ठो मे लिखा गया है।-

दिनांक :- २५ - ११ - २००० ई०।-

कुमार पुरुषोत्तम

कुमार पुरुषोत्तम
२५/११/२०००

लेखक :- → संतोष कुमार जयसवाल - निवास
स्थान दानापुर थाना दानापुर जिला
पटना बिक्रय पत्र लेख्यकारी के
कथन मुताबिक लिखा वो कागज ६ का
लेख्यकारी को सुना वो समझा दिया

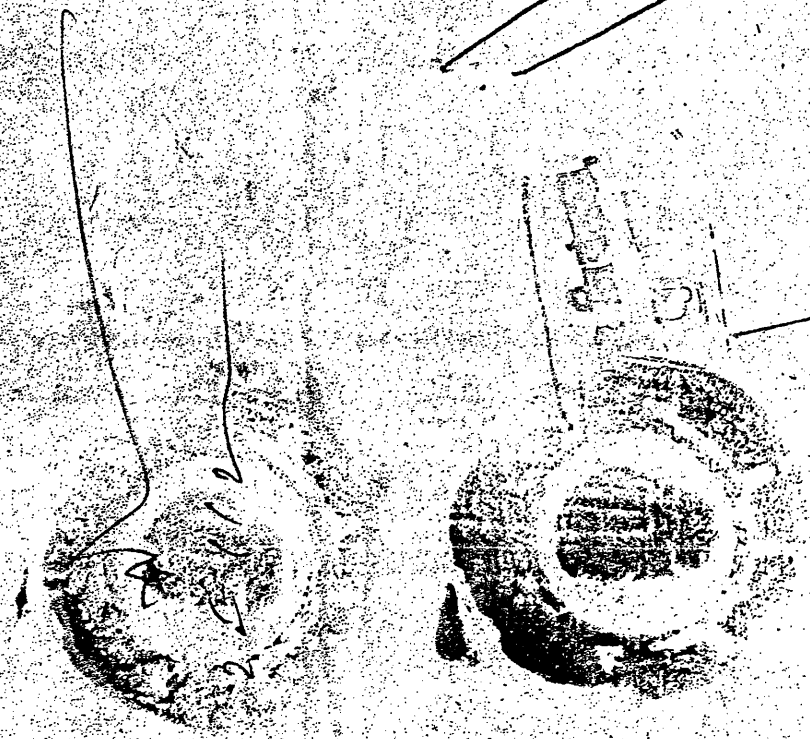

160
120
6166
2000
25/11/2000
25/11/2000



भारतीय गैर न्यायिक

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु. INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु.

01CC 939030

मूल्य सूची से मिला
सही पाया
25/11

5440-00
75-00
280-00
5735-00

6415, 6416, 6417 25.11.2000

4859, 4855, 4858 23.11.2000

22860
19040
41900

नाम लेख्यकारी :- श्री कुमार प्रीतजंय
पिता का नाम श्री
रघुनाथ शर्मा निवास
स्थान चेरी थाना
सरमेरा पत्रालय
चेरी जिला
नालन्दा भारतीय
नागरिक

24 NOV 2000

[illegible]

[illegible] 419001 — [illegible] 133 / 24/11/2000

श्री [illegible] कुमार

श्री [illegible] प्रसाद

[illegible] गोलाराड

पीरबहोर

पटना

[illegible] 24-11-2000

कुमार प्रतिज्ञा

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

कुमार प्रतिज्ञा

25/11/2000

[illegible] कुमार प्रतिज्ञा

[illegible]

[illegible] तपेश्वर महता

पिता का नाम [illegible] शिवचरण महता

[illegible]

[illegible] लेखनकार का निशान [illegible]

Exd-III/ul/1/2000

कुमार प्रतिज्ञा



(२)

01CC 939029

२ नाम लेख्यधारी गण :→ (१) श्री राकेश कुमार

(२) श्री मुकेश कुमार

~~पिता का नाम श्री~~

बृजनन्दन प्रसाद

निवास स्थान बाकर-

गंज गोला रोड थाना

पीरबहोर पत्नालय

~~बाँकीपुर जिला पटना~~

भारतीय नागरिक।-

३ लेख्य प्रकार :→ निर्विवाद विक्रय

पत्र केवाला बैना

कलामी। यनि। बिक्रय

पत्र।-

४ लेख्य सम्पत्ति मूल्य :→ अंकेन्द्र २७२ ०००।

दो लाख बहत्तर

हजार रुपया मात्र।-



24 NOV 2000

419001

श्री राकेश कुमार

24-11-2000

1236/30/2

तपेश्वर महतो

22-11-2000

-6/4

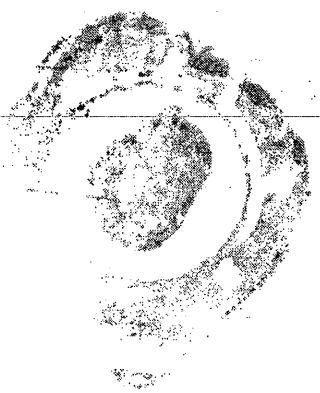

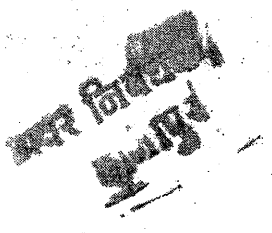

1000Rs.



INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

(३)

लेख्य सम्पत्ति का विवरण :→ मवाजी ८३ कट्ठा (तीन कट्ठा) ऐसजी सकना पड़ती वाके मौजा सगुना परगना फुलवारी थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना जिसका थाना संख्या २३ तौजी संख्या ५२ √२ / १८५८६ खाता संख्या ८२ खेसरा प्लौट संख्या ३५५ मे से जमाबन्दी संख्या १३५६ मालिक बिहार सरकार वजरिये अंचलाअधिकारी दानापुर लगान १) ५० पैसा अलावे शेषा- यह जमीन सकना पड़ती है

[illegible]

[illegible]

[illegible]

दानापुर, पटना

२५-११-२००८

44882

पा१००/

श्री राकेश कुमार

[illegible]



750 Rs.



INDIA NON JUDICIAL

७५० रु. Rs 750

सत्यमेव जयते

भारत

सात सौ पचास रुपये SEVEN HUNDRED & FIFTY RUPEES

(४)

ई० को उप समाहर्त्ता सदर पटना के यहाँ आवेदन दिया था जिसका पत्रांक संख्या ८५२१/२००० है वो शहरी भूमि हदबन्दी अधिनियम १९७६ ई० के अधीन धारा २६(ii) के अन्तर्गत साठ दिनो कि अवधि समाप्त हो चुकी है।-

उत्तर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम
सर्वे प्लौट	१२' फीट का	सड़क	पार्ट प्लौट
न० ३५३ श्री	रास्ता जिसमे		न० ३५५
जे. के. दत्ता	लेख्यधारीगण		जिसका
एंव अमृता	अपने क्रय		अज
विजय	कि गई भूमि		खरीदार
	मे से अपने		बृजनन्दन
	पश्चिम के क्रेता		प्रसाद वो
	बृज नन्दन प्र०		श्री मती
	वो धर्मशीला		धर्मशीला
	देवी के रास्ता		देवी दुसरे
	के उपयोग के		दस्तावेज
	लिये छोड़ेंगे		मे।-

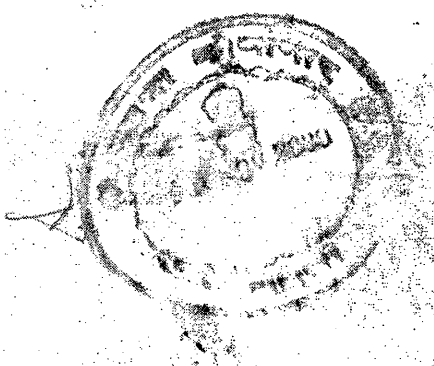

02642





100Rs.

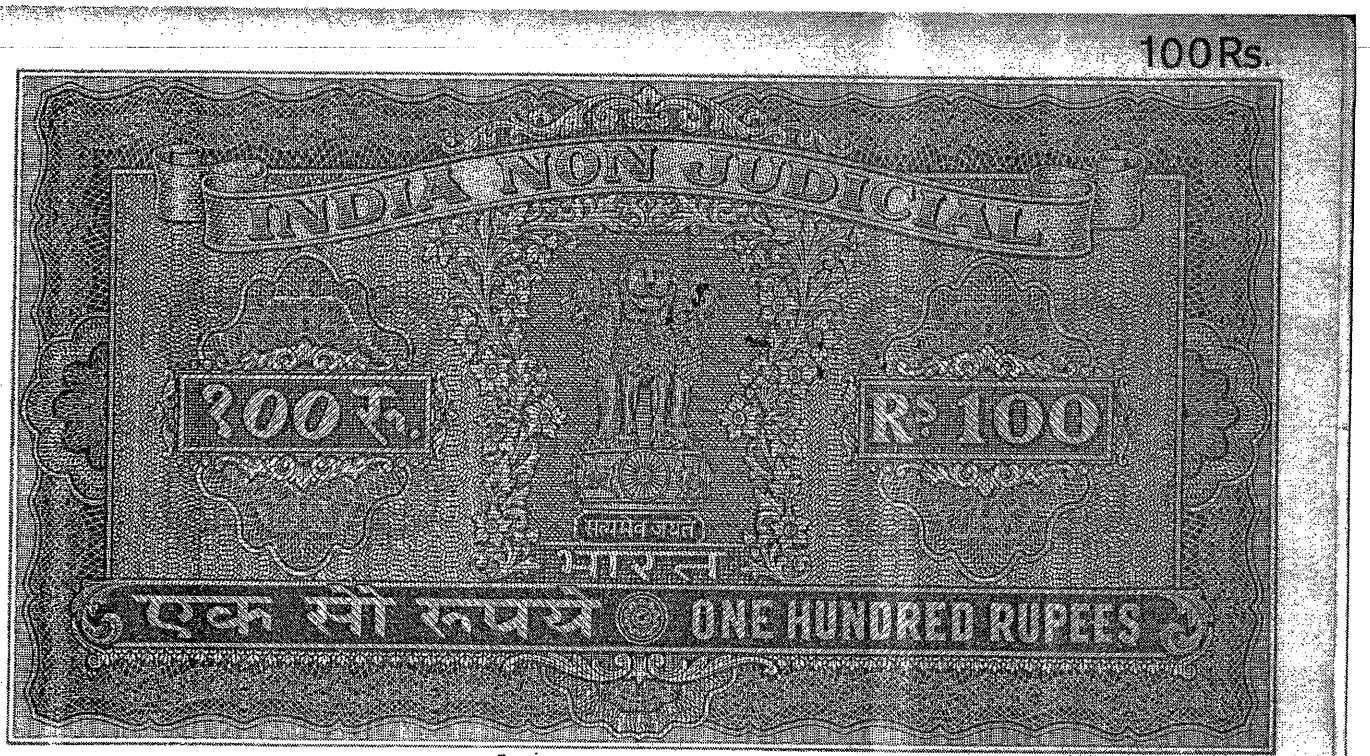

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

(५)

संदर्भ

हकियत यह है कि इस बिक्रय पत्र के खाने न० ५ कि वर्णित सम्पत्ति को लेख्यकारी ने दिनांक ८-४-√३ ई० को नपिस्ते श्री मती शान्ता रानी सिन्हा धर्म पत्नी स्वर्गीय लेफ्टीनेन्ट कर्नल वीर किशोर प्रसाद सिन्हा निवास स्थान शान्ता पन बेली रोड पटना बाई पास नहर के पास थाना दानापुर जिला पटना से बैय खरीद किये है जिसका वशीका न० १८७५ निबंधन कार्यालय दानापुर है और ता खरीदारी लेख्यकारी अपने खरीदगी सम्पत्ति पर काबीज दखील मालिक मुस्तकील रहते चले आते है वो है वो बिहार सरकार के जमीनदारी के नामांकन रजिस्टर्ड पर लेख्यकारी का नाम अंकित है वो लेख्यकारी के

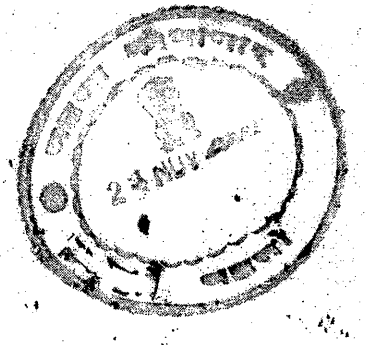

[redacted]

[redacted]

[redacted]

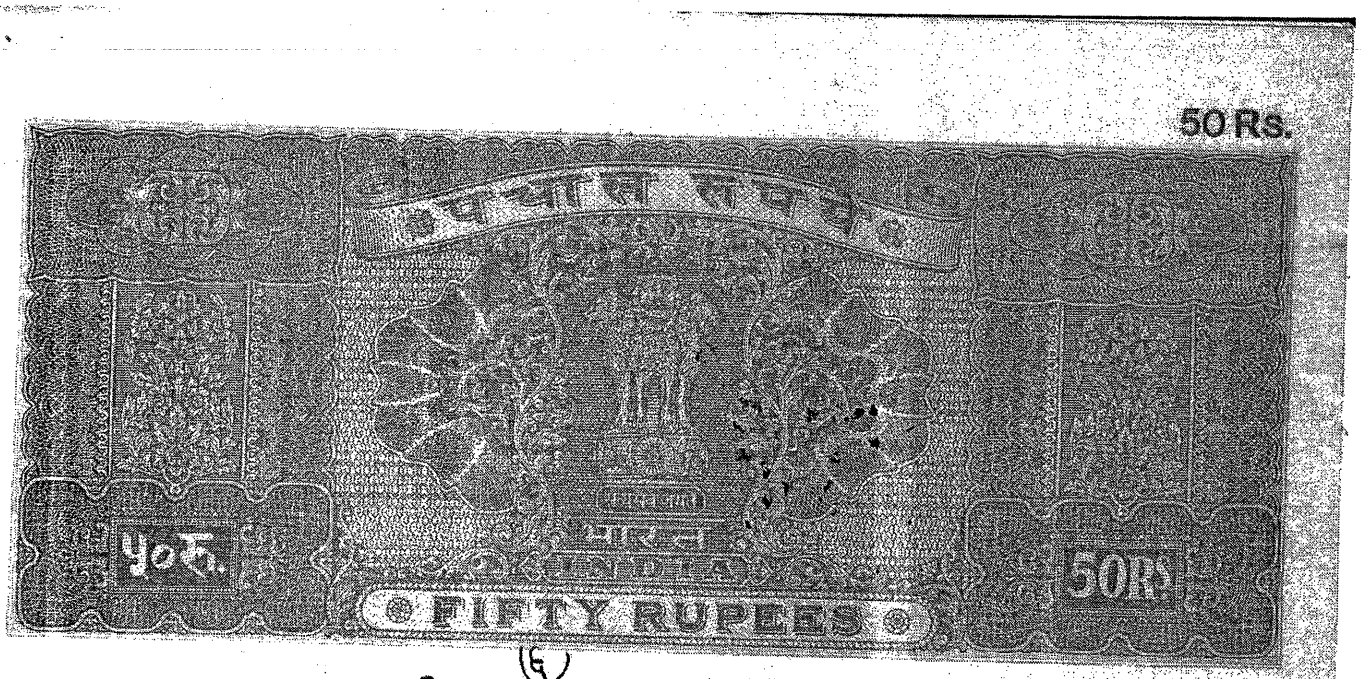

जाम से जमाबन्दी नं० १३४६ के द्वारा जमीनदारी रसीद कटते चला आता है वो है और पाक वो शाफ है।-

लेख्यकारि को रुपये का जरुरत वास्ते करने व्यवसाय वो करने खर्च जरुरियात के लिये जरुरी है और बिना रुपये नं०२ में वर्णित सम्पत्ति को बिक्री किये रुपयो का इकट्ठा होना असम्भव है इसलिये लेख्यकारि ने अपने रुपये नं०२ में दर्ज सम्पत्ति को बेचने कि बात चीत चलाई तो अंत में रुपये नं० २ के लेख्य-कारिगण के साथ अंकेन् २७२०००) दो लाख बहत्तर हज़ार रुपया में बिक्री सबंधने बात चीत तय वो करार हो गया क्यो कि इससे ज्यादा कीमत या इतना ही कीमत और कोई दुसरा ग्राहक नहो लगाते थे इसलिये लेख्यकारि को अपने सम्पत्ति का कीमत उचित वो मुनासीब खयाल में आया इसलिये लेख्यकारि ने

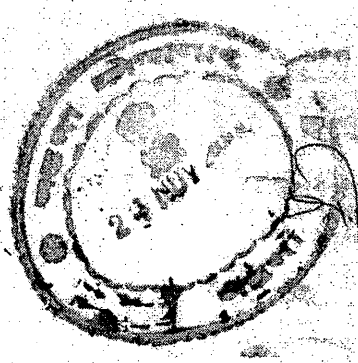

24 NOV

419001

24.11.2004



25.11

बातचीत निश्चित कर दी और विक्रय पत्र का ऐकरार करने के लिये तैयार हुये।—

अतएव लेख्यकारी बहैसियत सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वो स्वामी वो दखलकार के होकर वो रहकर अपने तन मन तथा ज्ञान इन्द्रियो कि स्वस्थावस्था मे मानसिक संतुलन के साथ रहकर अपने हितैषियो एवं कानुनी सलाहकारो से परामर्श लेकर बिना किसी के दबाव वो धमकाव के अपने हानि वो लाभ को अच्छी तरह समझ वो बुझकर खाने न० ५ कि वर्णित सम्पत्ति को खाने न० २ के लेख्यधारीगण के साथ अंकेन् २७२०००) दो लाख बहत्तर हजार रुपया मे निर्विवाद विक्रय पत्र के वाला बैलाकलामी किया वो लिखा वो बेचा वो विक्रय पत्र का ऐकरार स्वीकार किया।—

मूल्य के कुल कीमत लेख्यकारी ने लेख्यधारीगण से इस प्रकार से वसूल पाया कि अंकेन् १३६०००) एक लाख छत्तीस हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट शाखा के नरा बैंक कदमकुआँ पटना

(८)

का जिसका बैंक ड्राफ्ट नं० १२६१५६ दिनांक २४-११-२००० का वो अंकेन १३६०००) एक लाख छत्तीस हजार रुपया नगद दस्तावेज पर सही वो दस्तखत के समय वसूल पाया। मिनजुमला २०६२०००) दो लाख बहत्तर हजार रुपया वसूल पाये।

इस प्रकार कुल कीमत लेख्यकारी को लेख्यधारीगण के यहाँ से वसूल वो बेबाक हो गया। आज तक जो कुछ हक वो अधिकार वो स्वामित्व वो हिस्सा खाने नं० ५ कि वर्णित सम्पत्ति में लेख्यकारी वो उनके वंशज वो उनके उत्तराधिकारीयों को प्राप्त था या होता वह कुल हक वो अधिकार कि सभी मूल्य वसूल होकर आज कि तिथि से लेख्यधारीगण खाने नं० २ को प्राप्त हुआ वो है चाहिये कि लेख्यधारीगण खाने नं० ५ कि वर्णित सम्पत्ति पर काबीज रहकर अपना नाम वसिरिस्ते बिहार सरकार के जमीनदारी के नामांकन रजिस्टर्ड पर दर्ज करा लेवेगे वो जिस जिस मशरफ में लाना चाहे लावेगे इसमे लेख्यकारी वो उनके वंशज वो उनके उत्तराधिकारीयों को

कोई उजूर वो ऐतराज नही है वो न होगा।—

यह के लेख्यकारी ने लेख्यधारीगण खाने न० २ को पूर्ण विश्वास दिलाये है कि खाने न० ५ कि वर्णित सम्पत्ति ऋण भार वो अधिकार सबंधी झंझटो वो सरकारी या गैर सरकारी विवादो से मुक्त है।—

अगर किसी किसीम के खलल वो फतुर से जुज या कुल ऐराजी से लेख्य-धारीगण या उनके उत्तराधिकारी बेदखल हो जाय तो नालीश अदालत करके कुल रुपया असल वो उसका सुद मय हर्जा वो खर्चा खेसारा वो तमाम लगाकर लेख्य-कारी वो उनके उत्तराधिकारीयो के अन्य हर प्रकार के चल वो अचल सम्पत्ति से मनकुला वो गैर मनकुला नामी बेनामी आम हर एक शाम से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लेवेगे इसमे लेख्यकारी वो उनके उत्तराधिकारीयो को कोई उजूर वो ऐतराज नही है वो न होगा।—

इस वास्ते यह वशीका निर्विवाद विक्रय पत्र के वाला बैलाकलामी यानि विक्रय पत्र बहक वो बनाम रवाने न० २ के लेख्यधारीगण के नाम से लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।— प्रमाणित किया जाता है कि मूल प्रति वो द्वितीय प्रति हु व हु एक दुसरे का समान है जो दस पृष्ठो मे लिखा गया है।

दिनांक :→ २५ - ११ - २००० ई०।

कुमार प्रतेयम

कुमार प्रतेयम